HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

ADVERTISEMENT

Adv. No. **04** /II-14-1/2025

Bilaspur, dated...../2025

Online applications are invited in Chhattisgarh Vyapam website **https://vyapamcg.cgstate.gov.in/** for recruitment to the following posts of High Court of Chhattisgarh, Bilaspur from eligible candidates having qualifications as mentioned below -

S. No.	Cate gory	No. of Posts	Posts Reserved for Divyang		
1	UR	46 Posts (Including 21 - Women)	Out of total vacancies, 11 posts are reserved for Physical Disabled Persons.		
2	SC	25 Posts (Including 07 - Women)			
3	ST	31 Posts (Including 09 - Women)	Posts identified	Blind & Low Vision,	
4	OBC	22 Posts (Including 06 - Women)	by the Committee constituted for the purpose	Deafness, hearing impaired, Locomotor disability include cerebral palsy,	
			OA, OL, OAL, BL, B, LV, HH, OH, Acid attack victim, Muscular Dystrophy, Dwarfism, Leprosy Cured, Autism	disease-free leprosy, dwarfism, acid attack victim and muscular dystrophy, Selfishness, intellectual disability, specific learning disability, autism and mental illness.	

Abbreviation: OA - One Arm, OL - One Leg, BL - Both Leg, OAL - One Arm One Leg, LV - Low Vision, HH - Hearing Impaired, B - Blind, OH - Orthopaedically impaired.

MINIMUM QUALIFICATION & EXPERIENCE

- 1 Must be a Graduate from any recognized university and;
- One year diploma Course in computer from I.T.I. or any equivalent recognized Board/University.

[2.] Junior Judicial Assistant (Computer) (Level-4 of pay matrix)+200 SP No. of posts – 09

S. No. Category		No. of Posts	
1.	UR	05 Posts (Including 01 - women)	
2.	SC	01 Post	
3.	ST	02 Posts	
4.	OBC	01 Post	
Total		09 Posts	

MINIMUM QUALIFICATION & EXPERIENCE

- 1 Must be a Graduate from any recognized university and;
- Post Graduate Diploma in Computer from any Institution recognized by a University (recognized by University Grants Commission)
- Note:- 1. The number of posts may increase or decrease and the number of reserved posts may also vary at any time. This advertisement/recruitment and appointment shall be subject to final outcome of the S.L.P. (C) No. 19668/2022 of Supreme Court of India.
 - 2. The posts reserved for SC, ST & OBC are reserved only for SC, ST & OBC who are the bonafide residents of Chhattisgarh State. The applicants who are bonafide residents of other state & recognized as SC, ST & OBC in their own states, will be considered only against the UR posts.
 - 3. The candidates belonging to OBC should not be in the creamy layer.
 - 4. Reservation shall be given to the women candidates, only who are local residents of State of Chhattisgarh.
 - 5. Provided that, if in the selection process, any of the reserved posts remains vacant in any of the reserved category or 30% of the female unreserved category due to lack of suitable female candidates as above, such vacant posts shall not be made carry-forward for the next year and such vacant posts shall not be filled by other reserved or unreserved category of female, such category shall be filled by the male candidates of the same category for which it has been reserved.

Other Conditions:-

- 1. he is a citizen of India.
- 2. he has attained minimum age of 21 years and has not attained maximum age of 30 years (in case of bonafide resident of Chhattisgarh 40 years) on **01.01.2025.**
- Provided that the upper age limit shall be relaxable upto a maximum limit of 5 years for the candidates belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe and other Backward Classes of Chhattisgarh State.
- Provided that the upper age limit shall be relaxable upto a maximum limit of 10 years for women candidates, only who are local residents of State of Chhattisgarh.
- 5. Provided further that the upper age limit of candidates who are Government servants whether permanent or temporary, shall be relaxable upto further 5 years in addition to the relaxations available as above.
- 6. Provided further that age relaxation will be given to the Physically Disabled Persons (Divyang Persons) as per Government of Chhattisgarh, GAD circular dated 27.09.2014.
- 7. Including all the relaxation as mentioned above, the maximum age should not exceed to 45 years.
- 8. He has good character and is of sound mind and body and free from any bodily or mental defect which renders him unfit for such appointment.
- 9. He/She has not more than one spouse living.
- He/She has not been dismissed or removed from service by any High Court, Government or Statutory or Local Authority.

- 11. He/She has not been convicted of any offence involving moral turpitude or has not been permanently debarred or disqualified by any High Court/Union/State Public Service Commission or any Services Selection Board or Staff Selection Commission.
- 12. Candidates claiming reserved category (SC/ST/OBC) shall submit their permanent Caste Certificate duly issued by competent authority only along-with certificate of resident of Chhattisgarh, otherwise they will be treated under Unreserved Category. The reserved candidates shall submit self attested copy of their permanent Caste Certificate along with the application.
- 13. Reserved candidates (SC/ST/OBC) are required to submit an affidavit at the time of their joining in the proforma prescribed by the State Government with their memo dated 29.06.2013 failing which their appointment shall be cancelled.
- 14. The Candidate who are physically Disabled (Divyang) with less than 40% disability shall not be considered under physically Disabled (Divyang) Category and shall be treated in their respective category.
- 15. He/she must possess the requisite qualification and experience desired for the said advertised posts on or before the last date of online application.
- 16. The persons already in service must produce NOC of their employer, at the time of document verification otherwise, their candidature shall be rejected.
- 17. No TA/DA will be admissible to any candidate for appearing in any of the test.

18. Selection Process:

The Selection shall be made on the basis of Examination. The examination shall be conducted in Two phases.

Phase - I for the posts of Junior Judicial Assistant & Junior Judicial Assistant (Computer)

Max. Marks for Phase-I (Screening Test)

100 Marks

The Screening test shall be consisting of 100 questions of Multiple Choice Questions containing maximum 100 marks i.e. 01 No. for each question. The MCQ will consist of :-

There shall be no minus (-) marking. Phase-I will be only the screening test. On the basis of marks obtained in Screening test (Phase-I), the candidates will be called for Phase-II Skill Test in the ratio of 1:15.

Marks obtained by the candidates in Phase-I shall not be considered while preparing the merit list.

Phase - II (Skill Test)

(A) Junior Judicial Assistant (Computer)

Total marks for Skill Test English Typing test. (A passage of 500 words is to be typed in 20 minutes)	
English Typing test. (A passage of 500 words is to be typed in 20 minutes)	50 Marks
Marks to be deducted for each mistake	1/4 Marks

(B) Junior Judicial Assistant

2/04/10/10/04/10/04/10			
Total marks for Skill Test			
English Typing test. (A passage of 300 words is to be typed in 10 minutes)			
Hindi Typing test. (A passage of 250 words is to be typed in 10 minutes)	25 Marks		
Marks to be deducted for each mistake			

- The test shall be conducted in "Open Source Operating System (Ubuntu) with Word Processor Libre Office".
- The select lists for both the posts will be prepared on the basis of marks obtained by the candidates in the skill tests only.
 - 19. After receipt of merit list (category wise- i.e. SC, ST, OBC, Male, Female & Divyang separately and common merit list), from Vyapam, the High Court will publish the same and documents verification will be done at High Court, date of documents verification will be published on the website of High Court of Chhattisgarh.
 - 20. After documents verification, the High Court will publish the select list and waiting list in the website of this High Court.
 - 21. If the documents are not found as per eligibility criteria their candidature will be liable to be cancelled at any time during verification of the documents or if he selected and appointed and it is found that he does not possesses the requisite qualification/experience desired for the post, his selection/appointment will be liable to be cancelled.
 - 22. If two or more candidates secure equal marks, then the candidate born earlier will be placed above. If their date of birth also same, then preference will be given to those candidates who have passed the Typewriting examination in Hindi and English language from any recognized board.
 - 23. The selected candidates after their joining, will be kept on probation for the period as mentioned in rules.
 - 24. the record of recruitment examination shall be liable to be eliminate after six months of declaration of result of selection and thereafter no application for certified copy or inspection of documents related to selection process, shall be entertained under R.T.I. Act,

If above mentioned conditions are acceptable then only the candidate should apply for the said post.

For further details visit website at: https://vyapamcg.cgstate.gov.in/

Registrar General High Court of Chhattisgarh, Bilaspur (C.G.)



कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर व्यापम भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)-492002

Phone No.- 0771-2972780, Website- vyapamcg.cgstate.gov.in

क्रमांक / व्यापम / परीक्षा एफ - 20 / 2025 / 330 6

रायपुर, दिनांक 31/10/25

व्यापम परीक्षा निर्देश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के अंतर्गत जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट एवं जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट (कम्प्यूटर) पदों की लिखित भर्ती परीक्षा (HJJA25)

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि

31.10.2025 (शुक्रवार)

2. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि

25.11.2025 (मंगलवार) सायं 5:00 बजे तक

3. त्रुटि सुधार

– 26.11.2025 से 28.11.2025, सायं 5:00 बजे तक

4. परीक्षा की संभावित तिथि

04.01.2026 (रविवार)

5. परीक्षा का समय

पूर्वान्ह 11:00 से 1:15 बजे तक

6. व्यापम वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि

29.12.2025 (सोमवार)

7. परीक्षा केन्द्र 02 संभागीय मुख्यालयों में

– बिलासपुर, रायपुर

महत्वपूर्ण टीप -

1. अभ्यर्थियों की सुविधा की दृष्टि से व्यापम ने आवेदकों के <u>प्रोफाइल रिजस्ट्रेशन (पंजीकरण)</u> की व्यवस्था व्यापम पोर्टल पर की है। एक बार <u>प्रोफाइल रिजस्ट्रेशन (पंजीकरण)</u> करने के बाद परीक्षा विशेष के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक को बार—बार व्यक्तिगत जानकारी नहीं भरनी होगी । यह जानकारी उनके <u>प्रोफाइल रिजस्ट्रेशन</u> (पंजीकरण) से स्वमेव आ जायेगी ।

2. ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्मतिथि, स्थानीय निवासी, शैक्षणिक योग्यता, दिव्यांगता, भूतपूर्व सैनिक आदि सम्बंधी प्रमाण–पत्र व्यापम द्वारा नहीं लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी के सभी प्रमाण–पत्र का परीक्षण नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा । अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई भी जानकारी के लिए व्यापम जवाबदार नहीं होगा।इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का स्वयं का होगा।आवेदन से सम्बंधित जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।

3. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन भरने में यदि कोई त्रुटि हुई हो तो, उसे सुधारने हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात 03 दिवस का समय दिया गया है । इस दौरान अभ्यर्थी को त्रुटि सुधार स्वयं करना होगा ।

4. अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में भरी गई जानकारी के आधार पर ही जारी किया जायेगा । किसी भी स्तर पर व्यापम द्वारा कोई सुधार नहीं किया जायेगा ।

. ऑनलाइन आवेदन करते समय, परीक्षा शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी अपने आवेदन को "SUBMIT" करने हेतु अनिवार्य रूप से "SUBMIT" बटन दबाएँ ।

6. छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी, जो परीक्षा में उपस्थित होते हैं, उसका परीक्षा शुल्क व्यापम द्वारा वापस कर दिया जावेगा । परीक्षा शुल्क उसी बैंक खाता में वापस किया जावेगा, जिस बैंक खाता से अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन का परीक्षा शुल्क का भुगतान किया है ।

7. ऑनलाइन आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक "SUBMIT" करने के बाद कृपया अभ्यर्थी इसका प्रिंट आउट अनिवार्य रूप से लें व अपने पास रखें ।

8. आवेदन भरने के पूर्व विभाग द्वारा जारी भर्ती नियमों को ध्यान से पढ़े तथा पात्र होने पर ही आवेदन करें ।

9. व्यापम के वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in में नया ऑनलाइन प्रोफाइल रिजस्ट्रेशन (पंजीकरण) फार्म भरने हेतु अभ्यर्थी अपना स्वयं का सामने से लिया हुआ हल्के रंग के बैकग्राउंड वाला फोटो .jpg/.jpeg फार्मेट में स्कैन कर कर फाइल के रूप में रखें। जिसका अधिकतम साइज 100 kb एवं न्यूनतम साइज 50 kb का हो, सेव कर रखें। (फाइल का नाम अल्फान्यूमेरिक में रखें, बीच में अंतराल तथा डॉट का प्रयोग न करें), साथ ही अभ्यर्थी अपने स्वयं के हस्ताक्षर का फोटो भी स्कैन कर कर एक अलग .jpg/.jpeg फार्मेट में फाइल के रूप में रखे। जिसका अधिकतम साइज 100 kb एवं न्यूनतम साइज 50 kb का हो, सेव कर रखें।

10. परीक्षा शुल्क के सम्बंध में -अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से करना है । छत्तीसगढ़ शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्र. एफ 5-20/2015/जन.नि./42 नया रायपुर, दिनांक 14.12.2015 के अनुपालन में व्यापम द्वारा जारी आदेश क्र./2830/स्था./व्यापम/2015/रायपुर, दिनांक 17.12.2015 अनुसार परीक्षा शुल्क लिया जा रहा है ।

一 र 350.00 सामान्य वर्ग **-** र्क. 250.00 अन्य पिछडा वर्ग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग - रू. 200.00

छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर का पत्र क्र. क्रमांक RULE-8/2/2024-GAD-1 दिनांक 21.04.2025 के परिपालन में परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरांत छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी परीक्षार्थी, जो परीक्षा में उपस्थित होंगे, उन्हें उनके द्वारा दी गई परीक्षा शुल्क की राशि उसी बैंक खाता में वापस की जायेगी, जिस बैंक खाता से अभ्यर्थी ने परीक्षा शुल्क का भुगतान किया है ।

महत्वपूर्ण जानकारी

1. प्रोफाइल संबधित जानकारी-

अभ्यर्थी द्वारा प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) में दी गई जानकारी के आधार पर ही ऑनलाइन आवेदन भर सकेगा। ऑनलाइन आवेदन के आधार पर ही व्यापम परीक्षा परिणाम तैयार करता है । ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अपने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) की जानकारियों को अवश्य जाँच लें तदुपरांत ही ऑनलाइन आवेदन सबमिट करें।

2. पात्रता :--आवेदन हेतु पात्रता के संबंध में विभागीय नियम देखें । केवल वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो विभागीय नियमों में दी गई शर्ते पूरी करते हों। मात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना अथवा परीक्षा में सम्मिलित होना अभ्यर्थी को पात्र नहीं बनाता है।

3. ऑनलाइन आवेदन करने की विधि :--

ऑनलाइन आवेदन करने की विधि की जानकारी व्यापम वेबसाइट के "Instructions to fill the FORM" लिंक पर उपलब्ध है ।

4. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की विधि :--

- 4.1 मूलभूत जानकारी में सुधार करने हेतु अभ्यर्थी को अपने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) में सुधार करना होगा, तदुपरांत ही ऑनलाइन आवेदन में मूलभूत जानकारी सही दर्शित होगी। ऑनलाइन फार्म भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् भी अतिरिक्त 03 दिवस का समय त्रुटि सुधार हेतु दिया गया है ।
- 4.1 ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि अथवा निर्धारित समय सीमा में की गई त्रुटि सुधार के अनुसार ही व्यापम स्तर से प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा।

5. प्रवेश पत्र संबंधी जानकारी :--

परीक्षा के लगभग 07 दिन पूर्व प्रवेश पत्र (एडिमट कार्ड) व्यापम की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। अभ्यर्थी अपनी प्रोफाइल में जाकर एडिमट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा पश्चात् भी एडिमट कार्ड को संभालकर रखें । चयन प्रक्रिया के समय/सर्विस ज्वाइनिंग के समय इसे प्रस्तुत करना पड़ सकता है।

अभ्यर्थी संपूर्ण प्रवेश पत्र पूर्णतः डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट लेकर परीक्षा केन्द्र में जायें। परीक्षार्थियों को डाकघर के माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जावेगा। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र के सम्बंध में कठिनाई होती है तो हेल्पलाइन नंबर 0771—2972780 एवं मोबाइल नंबर 8269801982 पर समय प्रातः 10:00 से सायं 5:30 बजे तक संपर्क कर सकते हैं ।

परीक्षा दिवस को प्रत्येक परीक्षार्थी कम से कम दो घंटे पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र में उपस्थित रहें, जिससे उनके मूल पहचान पत्र से उनका पहचान किया जा सके एवं फिस्किंग (Frisking) के उपरांत परीक्षा केंद्र में जाने हेतु अनुमति दी जा सके । यह उचित होगा कि, परीक्षार्थी परीक्षा दिवस से एक दिन पूर्व ही अपने परीक्षा केन्द्र की भौगोलिक स्थिति से भलीभॉति परिचित हो जावें । प्रवेश पत्र पर अंकित समय के पश्चात् किसी को भी परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश -

1. परीक्षार्थी को परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र / ड्रायविंग लायसेंस / पेन कार्ड / आधार कार्ड जिसमें अभ्यर्थी का फोटो हो, का एक मूल पहचान पत्र परीक्षा दिवस में परीक्षा केन्द्र में लाना अनिवार्य होगा । मूल पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

2. परीक्षार्थी, परीक्षा के दिन, परीक्षा प्रारंभ समय से कम से कम 2 घंटा पहले परीक्षा केन्द्र में अनिवार्यतः

उपस्थित रहे, जिससे परीक्षार्थी का सत्यापन एवं फ्रिस्किंग (Frisking) किया जा सके।

3. परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व मुख्य द्वार बंद कर दिया जावेगा। उदाहरण के लिए यदि परीक्षा प्रारंभ होने का समय 11:00 बजे हैं तो 10:30 बजे मुख्य द्वार बंद कर दिया जावेगा ।

4. हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने जाए। काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरून, बैंगनी रंग व गहरे चॉकलेटी रंग के कपड़े पहनना वर्जित होगा ।

5. फुटवियर के रूप में चप्पल पहनें।

6. कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है।

7. परीक्षा के प्रथम आधा घंटा एवं आखिरी आधा घंटा में परीक्षा कक्ष से बाहर जाना वर्जित है।

8. परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रिनिक उपकरण, इलेक्ट्रिनिक घडी, पर्स, पाऊच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूर्णतः वर्जित है।

9. धार्मिक या सांस्कृतिक पोशाक वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करना होगा । उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जाँच से गुजरना पड़ेगा तभी ऐसे पोशाक की अनुमित होगी ।

6. हेल्प लाइन संबंधी जानकारी :--

ऑनलाइन आवेदन भरने में किसी प्रकार की दिक्कत होने पर कार्य दिवसों में प्रातः 10:00 से सायं 5:30 बजे (कार्यालयीन समय) के बीच 0771-2972780 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। साथ ही अवकाश के दिनों में मोबाइल नंबर 8269801982 पर समय प्रातः 10:00 से सायं 5:30 बजे तक संपर्क किया जा सकता है ।

7. पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी :--

परीक्षा हेतु सम्बंधित विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम व्यापम वेबसाइट के "Syllabus" लिंक पर उपलब्ध है।

परीक्षा कक्ष में प्रवेश :--

परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी केवल निम्नलिखित सामग्री लाएं -

(2) काला या नीला बाल पॉइंट पेन

(3) फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र/ड्रायविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड आदि की मूलप्रति

फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

9. दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए निर्देश :--

व्यापम की परीक्षाओं में दिव्यांगजनों को सह लेखक (Scribe) की सुविधा के लिए दिनांक 27.02.2025 को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जो व्यापम की वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है।

10. परीक्षा पद्धति एवं मूल्यांकन पद्धति :--

- 10.1 प्रश्न पत्र के मुख्य पृष्ठ पर तीन समान बार कोड स्टिकर संलग्न हैं । परीक्षार्थी एक बार कोड स्टिकर को ओ.एम.आर. शीट पर, दूसरे बार कोड स्टिकर को प्रश्न पत्र के मुख्य पृष्ठ पर व तीसरे बार कोड स्टिकर को उपस्थिति पत्रक पर सावधानीपूर्वक इंगित स्थान पर अवश्य चिपकायें ।
- 10.2 प्रश्न पत्र में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न में 01 अंक देय होगा। अभ्यर्थियों को इन प्रश्नों को हल करने हेतु 02:00 घंटे का समय दिया जावेगा । दिए गये प्रश्नों के चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन करना होगा । सही विकल्प पर उत्तरशीट (OMR) में नीले/काले डॉट पेन से गोला को पूर्णतः भरना होगा।
 - परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं रहेगा।

11. दावा/आपत्ति का निराकरण :--

- 11.1 व्यापम वेबसाइट पर दावा आपत्ति हेतु परीक्षार्थी को अपना पंजीयन क्रमांक (प्रोफाइल आई डी) एवं जन्म तिथि डालकर लॉगिन करना होगा और निर्देशानुसार दावा आपत्ति दर्ज करानी होगी ।
- 11.2 परीक्षा उपरांत व्यापम द्वारा जारी मॉडल उत्तर पर यदि परीक्षार्थी को आपित हो तो नियत अविध के भीतर सप्रमाण दावा/आपित (किसी गाइड बुक का प्रमाण मान्य नहीं होगा) दर्ज करना होगा।
- 11.3 ऑनलाइन दावा—आपत्ति दर्ज करने हेतु परीक्षार्थी को प्रति प्रश्न रू. 50/- शुल्क (ऑनलाइन के माध्यम से) देना होगा । शुल्क भुगतान के बिना दावा—आपत्ति मान्य नहीं होगा ।
- 11.4 डाक / ई—मेल द्वारा या व्यापम भवन में स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किये गये दावा—आपत्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 11.5 दावा आपत्ति दर्ज कराने की विस्तृत प्रक्रिया का मेनुअल व्यापम वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- 11.6 दावा आपत्ति करने से पूर्व आपत्ति के पक्ष में दिये जाने वाले की सॉफ्ट कॉपी अपलोड हेतु तैयार रखें एवं आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण होने पर इसकी पावती डाउनलोड अवश्य कर लें ।
- 11.7 बिना प्रमाण का दावा/आपत्ति को अमान्य किया जावेगा।
- 11.8 प्रत्येक प्रश्न का दावा / आपत्ति अलग—अलग प्रस्तुत करना होगा। एक साथ एक से अधिक प्रश्नों पर दावा / आपत्ति प्रस्तुत करने पर अमान्य किया जायेगा ।
- 11.9 प्राप्त दावा / आपत्ति का व्यापम स्तर पर विषय विशेषज्ञों द्वारा निराकरण किया जाता है । परीक्षण पश्चात् विषय विशेषज्ञों द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। तदानुसार अंतिम उत्तर तैयार किया जाएगा।
- 11.10 अंतिम उत्तर के आधार पर व्यापम द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं (ओ.एम.आर.) का मूल्यांकन किया जाएगा।
- 11.11 परीक्षा परिणाम के साथ अंतिम उत्तर जारी किया जाएगा। व्यापम द्वारा जारी अंतिम उत्तर पर किसी भी प्रकार का पुनः दावा/आपत्ति मान्य नहीं किया जावेगा।
- 12. त्रुटि पूर्ण प्रश्न का विलोपन होने पर सभी परीक्षार्थियों को सनान रूप से उस प्रश्न पर आबंटित अंक, बोनस अंक के रूप में प्रदान किया जायेगा ।
- 13. किसी प्रश्न के एक से अधिक सही विकल्प होने की स्थिति में विषय—विशेषज्ञों के निर्णय अनुसार सभी सही विकल्प मान्य होंगे ।
- 14. परीक्षा परिणाम :--

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा संबंधित विभाग के नियमों के आधार पर प्राप्तांक घोषित की जावेगी। अभ्यर्थी अपना परीक्षा परिणाम व्यापम की वेबसाइट https://vyapamcg.cgstate.gov.in पर देख सकते हैं तथा प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं।

- 15. पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन :छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा उत्तरशीट (ओ.एम.आर.) का मूल्यांकन ओ.एम.आर. मशीन से
 किया जाता है, अतः पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।
- 16. क्षेत्राधिकार (JURISDICTION) :-

व्यापम का दायित्व मात्र परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम जारी करने तक सीमित है। दस्तावेज परीक्षण एवं सत्यापन/चयन/नियुक्ति की प्रकिया व्यापम द्वारा नहीं किया जाता है।

17. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा जिला कोड तथा समन्वयक केन्द्रों के नाम -

जिला का नाम	जिला कोड	महाविद्यालय का नाम	दूरभाष नंबर
बिलासपुर	13	शासकीय ई. राघवेन्द्र राव,स्नातकोत्तर विज्ञान महा., बिलासपुर	07752—246430
रायपुर	25	शासकीय नागार्जुन पी.जी. विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर	0771-2263131

छ.ग. व्यापम, नवा रायपुर